निगरानी/टीए/2517/2003/जोधपुर
अभयप्रकाश बनाम अधिशाषी अभियंता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
23-09-25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक प्रार्थी। श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 4। **आदेश** 1 हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–01–1997 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2 निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष बाबत वादग्रस्त आराजीयात के प्रस्तुत किया। दौराने वाद अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखंड अधिकारी, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 21–01–1997 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3 विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि वादी/प्रार्थी का वाद मूलतः जिन प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया वह केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 व 92 ए के तहत प्रस्तुत किया गया है अर्थात अप्रार्थी संख्या । लगायत 3 के विरुद्ध ही इस आशय का स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री चाही की वह प्रार्थी के काबिज काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे । अप्रार्थी संख्या 4 न तो प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी कर रहा है और न ही प्रार्थी के वाद में।	

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्ध किसी प्रकार की दादरसी चाही और न ही चाह रहे हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी के उक्त वाद में अप्रार्थी संख्या 4 न तो आवश्यक पक्षकार है और न उचित पक्षकार है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर प्रतिवादी संख्या 4 को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये हैं। आदेश 1 नियम 10 के आवश्यक तत्व अप्रार्थी संख्या 4 को पक्षकार बनाये जाने हेतु अस्तित्व में न होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार के उपयोग में तात्विक अनियमितता व तात्विक अवैधता की है। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत राजस्व वाद, उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24-7-89 द्वारा अस्वीकार कर दिया। राजस्व अपील अधिकारी एवं माननीय राजस्व मण्डल ने भी क्रमशः अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26-8-91 एवं 3-7-96 द्वारा प्रथम व द्वितीय अपील अस्वीकार कर दी गई। ऐसी स्थिति में जब अप्रार्थी संख्या 4 राजस्व मण्डल तक द्वितीय अपील में प्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत वाद में असफल हो चुका है तो प्रार्थी के वाद में वादी प्रार्थी जो कि अपने वाद का मास्टर है अप्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाना चाहते हैं तो, उसे पक्षकार बनाने का न तो अधिकार है और न विद्वान उपखण्ड अधिकारी जी वादी प्रार्थी की इच्छा के विपरीत पक्षकार ही बना सकते हैं। अप्रार्थी संख्या 4 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, प्रार्थना पत्र न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत एवं न्यायहित में नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य था, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पक्षकार बनाने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जावे।

4 इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने उपरोक्त समस्त तर्को का विरोध करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत बताते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

5 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया

गया तथा पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजात एवं आलोच्य आदेश का अद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

6 पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि वादी/प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष बाबत वादग्रस्त आराजीयात के प्रस्तुत किया। दौराने वाद अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखंड अधिकारी, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 21–01–1997 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 4 को विचाराधीन वाद में पक्षकार संयोजित किये जाने का कारण अपने आदेश में अंकित किया है कि–''वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के वाद में प्रार्थी से कोई रिलिफ नहीं मांगा है लेकिन वादग्रस्त आराजी भूमि पर प्रार्थी की आसवन शाला चल रही है तथा उक्त आसवन शाला प्रार्थी ने राजस्थान सरकार से एग्रीमेंट से प्राप्त की है। मेरी विनम्र राय में बिना गंगानगर शुगर मिल युनिट मंडोर को उक्त वाद में पक्षकार बनाये मामले का पूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण नहीं हो सकता है।'' विचारण न्यायालय ने गंगानगर शुगर मिल युनिट मंडोर की आसवन शाला वादग्रस्त भूमि पर स्थित होने से हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार मानते हुए पक्षकार संयोजित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये अप्रार्थी संख्या 3 को आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार मानकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया है। चूंकि प्रकरण में गंगानगर शुगर मिल यूनिट मंडोर को पक्षकार बनाने से प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं प्रकरण का गुणावगुण पर न्यायोचित रूपसे अंतिम निस्तारण संभव हो सकेगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हितबद्ध पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय के सुविचारित मत के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि दृष्टव्य नहीं होती है जिसके कारण निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः

	निगरानी खारिज योग्य है। परिणामतः हस्तगत् निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	